

राजस्थान सरकार
कार्यालय तहसीलदार, टोडाभीम
जिला-करीली



* जाति प्रमाण-पत्र *

क्रमांक : RJS/2014/Misc (Tehsil Office)/Digital Caste (SC/ST)/12783
10-2014

दिनांक 10-

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पृथ्वेन्द्र जारेडा पुत्र श्रीराम बैरवा गांव/नगर खिलदीपुर बाड़ा, तहसील-टोडाभीम, जिला-करोली जिला/डिवीजन करोली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में बैरवा (5) जाति/समुदाय का है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता दी गई है:-

तीक्ष्णिकार (अनुमूलिक वाहि) आदेश 1950, संविधान (अनुमूलिक जनसत्राती) आदेश 1950, अविधान (अनुमूलिक वाहि) आदेश 1951, संविधान (अनुमूलिक जनसत्राती) (एवं एच बोर्ड आदेश 1951, अनुमूलिक वाहि तथा अविधान जनसत्राती संविधान (संसोधन) आदेश 1956, लाइब्रेरी दुप्पालिक अधिनियम 1960, इनाम इनामक अधिनियम 1966, हिंगाजन इनाम इनामक अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वी राज्य (प्रान्तिक) अधिनियम, 1971 एवं अनुमूलिक वाहि तथा अनुमूलिक जनसत्राती अदेश (संसोधन) 1976 द्वारा यहा संसोधित संविधान इनाम एवं अनुमूलिक वाहि आदेश 1956, अनुमूलिक वाहि तथा अनुमूलिक जनसत्राती अदेश (संसोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यहा संसोधित संविधान (अनुमूलिक वाहि संसद) अनुमूलिक जनसत्राती आदेश 1959, संविधान (द्वारा तथा यात्रा हुवेकी) अनुमूलिक वाहि, आदेश 1962, संविधान (द्वारा तथा यात्रा हुवेन्नी) अनुमूलिक जनसत्राती आदेश 1962, संविधान (संसदीय) अनुमूलिक वाहि आदेश 1964, संविधान अनुमूलिक जनसत्राती (संसद इकाई) आदेश 1967, संविधान (सोसाइटी) अनुमूलिक वाहि आदेश 1968, संविधान (सोसाइटी) अनुमूलिक वाहि आदेश 1968, संविधान (संसाधनक) अनुमूलिक जनसत्राती अदेश, 1970

श्री/श्रीमति/कुमारी पुष्पेन्द्र जारेडा गांव/नगर खिलचीपुर बाडा, तहसील-टोडाभीम, जिला-करौली जिला/डिवीजन करौली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सञ्चालन में सामान्यतया रहता है।

३८

- यहां प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ यही होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की भारा 20 मे है।
 - राजस्थान सरकार के सामाजिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना से एक 21(37) एस जि.ई./फम्हू/ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जारी इमारण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग का मान्यता प्रदान की गयी है।
 - उपरोक्त इमारण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये हैं-दस्तावेजत के आधार पर जारी किया गया है। दस्तावेजत की मान्यता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर इमारण-पत्र खालिक किया जा सकेगा।
 - आर्थिक द्वारा प्रस्तुत किये गए मूल अवेदन पत्र एवं सम्बद्धित दस्तावेजत लिने के सम्बद्धित प्रदत्त अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय मे निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होगे।
 - यह इमारण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के लिये मान्य है।
 - प्रार्थी को जारी किये गये इमारण-पत्र का संतापन www.emitra.gov.in पर स्थित On-line Verification Section से ऑन-लाइन सत्यापित किया जा सकता है।

तहसीलदार, टोडाभीम

Signature valid

Digitally signed by
Bairwa Jagdish Arasac
Date: 2014.10.10
05:33:16 IST
Reason: G-M
Location: Rajasthan



140801971021700

Kara 2012067642